—: ब ना म :—

अप्रार्थीगण :—

1 नेतसिंह पुत्र श्री रूगनाथसिंह
जाति राजपूत निवासी बेठवासिया
तहसील औसिया जिला जोधपुर ।

उपस्थित

1 श्री चन्दनसिंह भाटी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2 श्री अमरसिंह भाटी अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए, आर.टी.एक्ट.

— निर्णय — **दिंनाक — 18.01.2021**

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसील औसिया के ग्राम बेठवासिया की सरहद मे स्थित खसरा नम्बर 1822/1 रकबा 2 (दो) बीघा 2 बीस्वा , खसरा नम्बर 1823 रकबा 10 बीस्वा भूमि प्रार्थीगण व अन्य सह खातेदार के नाम से खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है। चालु जमाबन्दी की नकल साथ मे पेश है तथा नजरी नक्शा साथ मे पेश है जो प्रार्थना पत्र का भाग व अंग समझा जावे। उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण के खसरा संख्या 1822/1 की भूमि के पश्चिम की तरफ खसरा नम्बर 1824 रकबा 16 बीघा 6 बीस्वा भूमि अप्रार्थी के नाम की खातेदारी की व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है जिसके पष्चिम तरफ कटाणी रास्ता है । उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि मे आने जाने हेतू कटाणी रास्ते से अप्रार्थी की भूमि के मध्य मे से कदीमी रास्ता चलता है जिसे नजरी नक्शे मे मार्क ए से **बी** दर्षाया गया है इसके अलावा प्रार्थीगण की भूमि मे आने जाने के लिए दुसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नही है । अप्रार्थी ने हाल ही मे उक्त रास्ते को अवरूद्ध व बन्द करने पर आमादा है । प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवाने के लिए कहा किन्तु उक्त रास्ते का मामला पारस्परिक

Scanned with CamScanner

सहमती से तय नही हुआ इसलिए प्रार्थीगण न्यायालय हाजा मे उक्त रास्ता तय करने एवं राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज करवाने हेतू यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है । प्रार्थीगण को उक्त रास्ता कटाणी रास्ते से अप्रार्थी की भूमि के अन्दर बीस फुट चोडा रास्ता प्रार्थीगण की भूमि तक तय किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज किया जावे । प्रार्थीगण विधि अनुसार एवं डी.एल.सी. की असिंचित भूमि की दर के अनुसार रास्ते की भूमि का प्रतिकर न्यायालय हाजा द्वारा अवधारित करने पर अदा करने के लिए तैयार है । अप्रार्थी के खातेदारी की भूमि असिंचित है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है एवं नजरी नक्शे मे दर्शाया गया रास्ता लघुतम् एवं निकटतम् रास्ता है । अन्त मे प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि न्यायहित मे उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि मे प्रार्थीगण के आने जाने हेतू रास्ता अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1824 मे से नजरी नक्शे मे दर्शाए गये लाल रंग से मार्क ए से बी तक तीन गट्ठा चोडा रास्ता मंन्जूर किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिश जारी किये गये बाद तामील अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से अधिवक्ता द्वारा वकालात नामा पेश किया गया । अप्रार्थी ने जबाब मे प्रारम्भिक आपत्ति पेश करते हुए बताया कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 1824 की भूमि मे से रास्ता चाहा है । खसरा नम्बर 1824 की भूमि सामलाती भूमि है जिसमे अप्रार्थी के अलावा अन्य कई खातेदार है जिनको प्रार्थीगण द्वारा पक्षकार नही बनाया गया है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है । अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1824 मे नलकूप खुदा हुआ है जो चालु हालत मे है तथा मौके पर खूटे रोपकर तारबनदी , जाली इत्यादि की हुई है तथा मौके पर किसी प्रकार का रास्ता खसरा नम्बर 1824 मे नही चलता है । प्रार्थीगण के आवागमन हेतु पूर्वी दिशा मे रास्ता उपलब्ध है जिससे प्रार्थीगण लगातार आवागमन करते आ रहे हे इस प्रकार प्रार्थीगण के अवागमन हेतु एक रास्ता पहले से विद्यमान है जहा से प्रार्थीगण बिना रोक टोक के आवागमन कर रहे है । अप्रार्थी ने अपने जबाब मे बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु कटाणी रास्ते से अप्रार्थी की भूमि मे से कभी कोई रास्ता नही चलता था न ही वर्तमान मे किसी प्रकार का प्रार्थीगण का रास्ता अप्रार्थी की भूमि मे से है । प्रार्थीगण ने नजरी नक्शा झुठा व बनावटी प्रस्तुत किया है । जब अप्रार्थी की भूमि मे से कोई रास्ता नही चलता है तो उसे अवरूद्व व बन्द करने का प्रश्न ही पैदा

Scanned with CamScanner

नही होता है । प्रार्थीगण की भूमि मे आवागमन हेतु पूर्वी दिशा मे रास्ता विद्यमान है जिससे प्रार्थीगण आवागमन करते है ।

हल्का पटवारी व आर.आई. से दो बार मौका रिपोर्ट तलब की जाकर सामिल मिसल की गई प्रार्थीगण व अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई व पत्रावली व आर.आई. रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया न्यायहित मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है

ग्राम बेठवासिया के खेत खसरा नम्बर 1824 मे से हल्का आर.आई फर्द मौका रिपोर्ट मे नजरी नक्शा के अनुसार मार्क ए से वी तीन गट्ठा चोडा रास्ता के उपयोग हेतु घोषित किया जाता है । प्रार्थीगण से नियमानुसार डी, एल, सी, की दर से दो गुना प्रतिकर की राशि का भुगतान करवाया जाकर राजस्व रेकर्ड व लट्ठा ट्रेश मे अमल दरामद किया जावे । तहसीलदार को तहरीर जारी की जावे । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर दाखिल दप्तर हो ।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

आदेश आज दिंनाक 18.1.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलेक्टर ,ओसिया।